सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी
बनाम सुनील कुमार वगै0

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णायक अधिकारी, डीडवाना
(पीठासीन अधिकारीः रिछपाल सिंह बुरड़क, आर.ए.एस.)

आवेदकः–

1. श्री राजेश कुमार जांगिड़, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर।

बनाम

प्रतिवादी / अभियुक्तः–

1. श्री सुनील कुमार पुत्र मोटारामजाट जाति माली (विक्रेता)
   स्थायी निवासी– मु.पो.गोरवर्धनपुरा तह. दातारामगढ़ जिला सीकर।
   फर्मः–नीलम मावा एंव रसगुल्ला भण्डार, एम.जे. मार्केट पार्क के पास, कुचामन सिटी जिला नागौर।
2. श्री जीवणराम सैनी पुत्र नारायण राम सैनी जाति माली (मालिक)
   स्थायी निवासी– मु.पो.गोरवर्धनपुरा तह. दातारामगढ़ जिला सीकर।
   फर्मः–नीलम मावा एंव रसगुल्ला भण्डार, एम.जे. मार्केट पार्क के पास, कुचामन सिटी जिला नागौर।

प्रकरण संख्या :–28 / 2019

" अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) एवं 32(2) व दण्डनीय धारा 51 व 58 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006"

उपस्थिति :–

1. राजेश कुमार जांगिड़, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, नागौर।

निर्णय

दिनांक :–15.03.2022

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। आवेदक श्री राजेश कुमार जांगिड़, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने यह आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 03.11.2018 को समय 02:45 पी.एम. पर फर्म नीलम मावा एंव रसगुल्ला भण्डार, एम.जे. मार्केट पार्क के पास, कुचामन सिटी जिला नागौर में पॅहुचा। वहां पर विक्रेता के रूप में उपस्थित व्यक्ति को अपना परिचय दिया व परिचय लिया तो मालूम हुआ कि वह व्यक्ति श्री सुनील कुमार पुत्र मोटाराम जाट जाति माली, उपस्थित थे तथा आम जनता को विक्रय वास्ते मावा आदि खाद्य पदार्थ रखे पाये। विक्रेता से पूछने पर उक्त संस्थान का मालिक श्री जीवणराम सैनी पुत्र नारायण राम सैनी जाति निवासी– मु.पो.गोरवर्धनपुरा तह.

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना (नागौर)

दातारामगढ़ जिला सीकर होना बताया। विक्रेता आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षणार्थ खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञापत्र/रजिस्ट्रेशन दिखाने को कहा जिस पर विक्रेता ने रजिस्ट्रेशन नही होना जाहिर किया। विक्रेता ने बताया कि उक्त फर्म को अभी 15 दिवस पूर्व ही प्रारम्भ की है, 15 दिवस में लगभग 25 हजार रूपये की बिक्री हुई है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर विक्रेता मालिक की उपस्थिति मे संस्थान का निरीक्षण किया जहां पर 15 किलो मावा एक खुले लोहे के पीपे में आमजन को विक्रय वास्ते रखा हुआ था। जिसमें मिलावट का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत रूबरू गवाह के सामने विक्रेता को प्रपत्र 5ए भरकर दिया तथा असल प्रति पर प्राप्ति रसीद प्राप्त की जिस पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी, गवाह व विक्रेता के हस्ताक्षर है। प्रपत्र 5ए देने से पहले विक्रेता को बता दिया था कि यह मावा का नमूना एफएसएसए एक्ट के तहत वास्ते जॉच हेतु ले रहे है। प्रपत्र 5ए की असल प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता व गवाहान की उपस्थिति में उक्त लोहे के पीपे में रखे लगभग 15 किलो मावा को एक लोहे के पलटे से अच्छी तरह से हिलामिलाकर एकरूप कर, उस में से 1 किलो मावा तुलवाकर एक साफ–सुखी एवं खाली स्टील की भगोनी में खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता मालिक को रू. 230/–(अक्षरे दो सौ तीस रू. मात्र) नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी, गवाह व विक्रेता के हस्ताक्षर है। रसीद माल खरीद की असल प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लेबल तैयार कर लेबल पर कोड एवं सीरीयल न0, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ का नाम आदि अंकित कर उस पर खाद्य कारोबारकर्ता, गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात खरीद शुदा खाद्य पदार्थ मावा के चारों नमूना पैकेटो पर एक–एक लेबल गोंद से चिपकाया। फिर चारों नमूना भागों को अलग अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप Q–1057 को नियमानुसार गोद से चिपकाया, प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता व गवाहो के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये, फिर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे/जाप्ते में लेकर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना (नागौर)

की जिसे खाद्य विक्रेता सुनील कुमार एवं गवाहान को पढ़ सुनकर, समझ कर सही मानकर हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट पर नमूने को सील करते समय काम में ली गई सील की छाप लगाई गई, फर्द रिपोर्ट मूल ही संलग्न है।

फिर कार्यालय पँहुच कर फार्म नंबर 6 की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूने को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की, नमूने के चारों भागों के साथ फार्म नं. 6 की एक–एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को अलग–अलग बन्द कर गोद से चिपकाई एवं लिफाफों को सील चपड़ी किया।

तत्पश्चात आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने एक नमूना मय फार्म न. 6 की एक प्रति आउटर कवर में चपडी से सील बन्द एवं सील मोहर कर, श्री धनराज तेजी, स्वीपर, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर के द्वारा खाद्य विश्लेषक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर राजस्थान को दिनांक 05.11.2018 को देकर रसीद प्राप्त की जो मूल ही सलंग्न है, शेष सीलबन्द नमूना बोतलों मय फार्म नं.6 की प्रतिया आउटर कवर में चपड़ी से सील बन्दकर, सील मोहर कर डीओं एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को दिनांक 05.11.2018 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने जमा करवा कर रसीद प्राप्त की जो मूल ही सलंग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर से खाद्य पदार्थ मावा की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई, प्राप्त जांच रिपोर्ट अनुसार खाद्य विक्रेता सुनील कुमार से वास्ते जांच क्रय किया गया खाद्य पदार्थ मावा का नमूना **Q**–1057 सबस्टेण्डर्ड होना पाया गया है। उक्त जांच रिपोर्ट की प्रति खाद्य विक्रेता सुनील कुमार को प्रेषित कर जांच रिपोर्ट से असंतुष्ट होने की स्थिति में पुनः जांच का आवेदन फार्म 8 में जांच रिपोर्ट प्राप्ति से 30 दिन के भीतर प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया, परन्तु खाद्य विक्रेता सुनील कुमार ने पुनः जांच हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया।

प्रकरण में अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर ने सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन एवं मनन कर अभियुक्त द्वारा सबस्टेण्डर्ड खाद्य पदार्थ का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन पाया जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध होने से अभियोजन स्वीकृति जारी कर न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, डीडवाना के समक्ष न्याय निर्णय आवेदन प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत किया गया है। प्रकरण में अभियुक्त द्वारा सबस्टेण्डर्ड खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम,

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना (नागौर)

2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) तथा 31(2) उल्लंघन किया है जो धारा– 51 एवं 58 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है। अतः अभियुक्त पर जुर्माना आरोपित किया जावें।

(3) प्रस्तुत आवेदन पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीयों को नोटिस जारी किये जाकर विधिवत तामिल करवाई गई। जिस पर प्रकरण की सुनवाई तिथि 03.03.2021 को अभियुक्त श्री जीवणराम सैनी ने उपस्थित होकर लिखित स्टेटमेन्ट/जवाब प्रस्तुत किया। अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत लिखित जवाब में यह अंकित किया गया है कि दिनांक 03.11.2018 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी, नागौर श्री राजेश कुमार जांगिड़ द्वारा जिस मावा का नमूना जांच के लिये लिया गया था जो जांच रिपोर्ट के अनुसार सबस्टेण्डर्ड पाया गया है। जिसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। निवेदन करता हूं कि आगामी समय में कभी ऐसी गलती नहीं होगी।

(4) प्रकरण में अभियुक्त जीवणराम सैनी पुत्र नारायण राम सैनी (मालिक) द्वारा अपने जवाब में जुर्म स्वीकार कर लिये जाने से आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निवेदन किया कि न्याय निर्णायक आवेदन में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि अभियुक्तो द्वारा सबस्टेण्डर्ड खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्मान योग्य अपराध है तथा साथ ही बिना रजिस्ट्रेशन प्रमाण–पत्र के व्यापार प्रारम्भ करके धारा 31(2) का उल्लंघन किया है जो उक्त अधिनियम की धारा 58 के तहत जुर्माना योग्य अपराध होने से अभियुक्त पर जुर्माना आरोपित किया जावे।

(5) प्रकरण में पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 03.11.2018 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समय 02:45 पी.एम. पर फर्म नीलम मावा एवं रसगुल्ला भण्डार, एम.जे. मार्केट, कनोई पार्क के पास, कुचामन सिटी. जिला नागौर में पॅहुचा। वहां पर विक्रेता के रूप में उपस्थित व्यक्ति को अपना परिचय दिया व परिचय लिया तो मालूम हुआ कि वह व्यक्ति श्री सुनील कुमार पुत्र मोटाराम जाति माली निवासी मु.पो. गोरवर्धनपुरा, तह. दातारामगढ़ जिला सीकर उपस्थित थे तथा आम जनता को विक्रय वास्ते मावा आदि खाद्य पदार्थ रखे पाये। विक्रेता से पूछने पर उक्त

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना (नागौर)

संस्थान का मालिक जीवणराम सैनी पुत्र नारायण राम सैनी निवासी मु.पो. गोरवर्धनपुरा, तह. दातारामगढ़ जिला सीकर का होना बताया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षणार्थ खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञापत्र/रजिस्ट्रेशन दिखाने को कहा जिस पर विक्रेता ने रजिस्ट्रेशन नही होना जाहिर किया जिसकी छाया प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

(6) आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर विक्रेता की उपस्थिति से संस्थान का निरीक्षण किया जहां पर लगभग 15 किलो मावा एक लोहे के पीपे में में आमजन को विक्रय वास्ते रखा हुआ था जिसके अमानक स्तर का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत रूबरू गवाह के सामने विक्रेता को प्रपत्र 5ए भरकर दिया तथा असल प्रति पर प्राप्ति रसीद प्राप्त की जिस पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी, गवाह व विक्रेता के हस्ताक्षर है। प्रपत्र 5ए देने से पहले विक्रेता को बता दिया था कि यह मावा का नमूना एफएसएसए एक्ट के तहत वास्ते जॉच हेतु ले रहे है। प्रपत्र 5ए की असल प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता व गवाहान की उपस्थिति में उक्त लोहे के पीपे में रखे लगभग 15 किलो खोया को एक लोहे के पलटे से अच्छी तरह से हिलामिलाकर एकरूप कर, उस में से 1 किलो मावा तुलवाकर एक साफ–सुखी एवं खाली स्टील की भगोनी में खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता को रू. 230/–(अक्षरे दो सौ तीस रू. मात्र) नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी, गवाह व विक्रेता के हस्ताक्षर है। रसीद माल खरीद की असल प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लेबल तैयार कर लेबल पर कोड एवं सीरीयल न0 दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ का नाम आदि अंकित कर उस पर खाद्य विक्रेता, गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात खरीद शुदा खाद्य पदार्थ मावा के चारों नमूना पैकेटो पर एक–एक लेबल गोंद से चिपकाया। फिर चारों नमूना भागों को अलग अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप Q–1057 को नियमानुसार गोद से चिपकाया, प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य विक्रेता व गवाहो के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये, फिर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे/जाप्ते में लेकर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना (नागौर)

जिसे खाद्य विक्रेता श्री सुनील कुमार एवं गवाहान को पढ़ सुनकर, समझ कर सही मानकर हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट पर नमूने को सील करते समय काम में ली गई सील की छाप लगाई गई।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत मूल दस्तावेज फार्म न. 5ए, खाद्य पदार्थ का विक्रय बिल एवं मौका फर्द आदि दस्तावेजों के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रकरण में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फर्मः–नीलम मावा एवं रसगुल्ला भण्डार, एम.जे. मार्केट, कनोई पार्क के पास, कुचामन सिटी. जिला नागौर, विक्रेता श्री सुनील कुमार पुत्र मोटाराम जाट सैनी, निवासी–मु.पो. गोरवर्धनपुरा, तह. दातारामगढ़ जिला सीकर से खाद्य पदार्थ मावा को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गयी है।

तत्पश्चात कार्यालय पँहुच कर फार्म नंबर 6 की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूने को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की, नमूने के चारों भागों के साथ फार्म नं. 6 की एक–एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को अलग–अलग बन्द कर गोद से चिपकाई एवं लिफाफों को सील चपड़ी किया। तत्पश्चात आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने एक नमूना जार मय फार्म न. 6 की एक प्रति आउटर कवर में चपडी से सील बन्द एवं सील मोहर कर, श्री धनराज तेजी, स्वीपर,, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर के द्वारा खाद्य विश्लेषक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर राजस्थान को दिनांक 05.11.2018 को देकर रसीद प्राप्त कर शेष सीलबन्द नमूना बोतलों मय फार्म नं. 6 की प्रतिया आउटर कवर में चपड़ी से सील बन्दकर, सील मोहर कर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को दिनांक 05.11.2018 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने जमा करवा कर रसीद प्राप्त की जो मूल ही संलग्न है। पत्रावली पर फूड एनालिस्ट राजस्थान जोधपुर के **FORM-B** रिपोर्ट नं. **L.S**/903/**Act**/2018/922 दिनांक 21.12.2018 का अवलोकन किया गया जिसमें फूड एनालिस्ट का मत निम्न प्रकार अंकित किया हैः–

Opinion- The Sample of **Mawa (Khoa)** bearig Code No. and Sr. No. Q-1057 of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Nagaur is **Sub-standard** as it does not conform to the prescribed standard and provisions of Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011.

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, डीडवाना (नागौर)

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना (नागौर)

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर से खाद्य पदार्थ मावा की जांच रिपोर्ट संख्या **LS/903/Act**/2018/922 दिनांक 21.12.2018 प्राप्त हुई, प्राप्त जांच रिपोर्ट अनुसार खाद्य विक्रेता सुनील कुमार से वास्ते जांच क्रय किया गया खाद्य पदार्थ मावा का नमूना **Q**–1057 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत सबस्टेण्डर्ड पाया गया है, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 26 की उपधारा 2(**ii**) का उल्लंघन है एवं उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माना योग्य है तथा साथ ही खाद्य रजिस्ट्रेशन प्रमाण–पत्र के बिना व्यापार प्रारम्भ करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 31(2) का उल्लंघन है जो अधिनियम की धारा 58 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है। खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ सबस्टेण्डर्ड है।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(**ii**) व 31(2) इस प्रकार हैः–

धारा 26ः– खाद्य कारोबार कर्ता के दायित्वः–

(2) कोई भी खाद्य कारोबार कर्ता निम्नलिखित किसी खाद्य वस्तु काः–

(ii) जो मिथ्या छाप वाली या अवमानक है या उसमें बाह्य पदार्थ मिले है–

धारा 31ः– खाद्य कारोबार का अनुज्ञापन और रजिस्ट्रीकरणः–

(2)ः– उपधारा (1) की कोई बात ऐसे किसी छोटे विनिर्माता को जो स्वयं किसी खाद्य पदार्थ का विनिर्माण करता है या विक्रय करता है या किसी छोटे फुटकर विक्रेता, हाकर, फेरी वाले या किसी अस्थायी स्टालधारक या खाद्य कारोबार से संबंधित किसी लघु उद्योग या कुटीर उद्योग या ऐसे किसी अन्य उद्योग या छोटे खाद्य कारोबार कर्ता को लागू नही होगी; किंतु वे स्वयं को मानव उपभोग के लिए सुरक्षित और पूर्ण खाद्य की उपलब्धता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना या उपभोक्ताओं के हितों को प्रभावित किए बिना ऐसे प्राधिकारी के के पास और ऐसे रीति में रजिस्टर कराएंगे जिसे विनियमों द्वारा विनिर्दिट किया जाए।

धारा 51ः–अवमानक खाद्य के लिए शास्तिः–

कोई व्यक्ति जो चाहे वह स्वयं या अपनी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी खाद्य पदार्थ का विक्रय के लिए विनिर्माण या मानव उपभोग के लिए

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना (नागौर)

भंडारण या विक्रय या वितरण या आयात करता है जो अवमानक है, शास्ति का, जो पांच लाख रुपए तक की हो सकेगी, दायी होगा।

धारा 58:– जो कोई इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के किन्ही भी उपबंधों का उल्लंघन करता है जिसके लिए इस अध्याय मे कोई पृथक शास्ति उपबंधित नही है, शास्ति का, जो दो लाख रूपए तक की हो सकेगी, दायी होगी।

(7) पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर के पत्र क्रमांकः चिकि/FSSA/जांच रिपोर्ट/2019/36–37 दिनांक 30.01.2019 से उक्त को जांच रिपोर्ट की प्रति प्रेषित की गई है, किन्तु इन्होंने पुनः जांच हेतु अपील आवेदन प्रस्तुत नही किया। उक्त जांच रिपोर्ट के अनुसार खाद्य पदार्थ सेम्पल Q–1057 जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन है एवं उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है। इस प्रकार, सबस्टेण्डर्ड खाद्य पदार्थ के विक्रय हेतु फर्म–नीलम मावा एवं रसगुल्ला भण्डार, एम.जें. मार्केट,कनोई, पार्क के पास, कुचामन सिटी तह. कुचामन सिटी जिला नागौर दोषी व उतरदायी है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 68 की उपधारा–(1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क–4/08 जयपुर दिनांक 05.04.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 के तहत अभियुक्त जीवणराम सैनी पुत्र नारायण राम सैनी जाति सैनी, स्थायी निवासी–मु.पो.गोरवर्धनपुरा, तह. दातारामगढ़ जिला सीकर फर्मः–नीलम मावा एवं रसगुल्ला भण्डार, एम.जें. मार्केट, कनोई, पार्क के पास, कुचामन सिटी तह. कुचामन सिटी पर राशि रुपये 30000/–(अक्षरे रुपये तीस हजार मात्र) की शास्ति अधिरोपित की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं संबंधित अप्रार्थी को भिजवाने हेतु अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर को भेजी जावे। अप्रार्थी से उपरोक्त शास्ति राशि वसूल कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के कार्यालय में ट्रेजरी चालान के माध्यम से निर्णय तिथि के एक माह के अन्दर जमा करवायी जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यदि अप्रार्थी निर्धारित समयावधि में शास्ति राशि जमा करवाने में असफल रहता है तो अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना (नागौर)

अधिकारी, नागौर इस संबंध में बनाए गए नियमों के अंतगर्त वसूली की कार्यवाही भी सूनिश्चित करेंगे।

(8) आदेश दिनांक 15.03.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, डीडवाना